उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग
संख्या /XII/08/90(47)/04
देहरादून दिनांक 17 सितम्बर 2008

कार्यालय–ज्ञाप

जिला पंचायतों में कार्यरत वाहन चालकों को राज्य कर्मचारियों की भाँति उनकी कठिन सेवाओं के दृष्टिगत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक माह के मूल वेतन के समतुल्य प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य की जाती है। वाहन चालकों को पूरे वर्ष की सेवा के आधार पर देय मानदेय हेतु वेतन का आगणन मूल वेतन में 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को जोड़कर किया जायेगा।

2. उक्त सुविधा उन्हीं वाहन चालकों को अनुमन्य होगी, जिन्होंने एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली है। उक्त प्रतिपूर्ति धनराशि 12 माह की सेवा के आधार पर सम्बन्धित वर्ष की पहली मार्च में देय मूल वेतन के आधार पर भुगतान की जायेगी। वर्ष के मध्य में सेवामुक्त होने वाले वाहन चालकों को समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा देय होगी। ऐसे वाहन चालक जो वर्ष के दौरान किसी समय सेवा प्रारम्भ करते है उन्हे भी समानुपातिक दर पर उक्त सुविधा देय होगी। उक्त सुविधा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा अग्रेत्तर अवधि हेतु उपरोक्तानुसार आगणित की जायेगी।

3. उत्कृष्ट कार्य के लिये वित्तीय वर्ष के अन्त में दिया जाने वाला मानदेय इस सुविधा के उपरान्त वाहन चालकों को देय नहीं होगा।

4. उक्त सुविधा उन्ही जिला पंचायतों में देय होगी जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो, हानि या वित्तीय स्थिति अच्छी न होने की दशा में यह सुविधा देय नहीं होगी। उक्त पर आने वाला व्यय–भार ज़िला पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा और शासन द्वारा इस हेतु कोई अनुदान देय नहीं होगा।

अनूप वधावन
सचिव।

संख्या 436 /XII/08/90(47)/04 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
4. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संयुक्त निदेशक, पंचायत प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
7. समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
8. समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें।
10. वित्त अनुभाग–4 एवं अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0पी0कुलोरिया)
संयुक्त सचिव।